POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 06.02.2025

थाना बिसरख पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजो का प्रयोग कर जन्मप्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रेन्ट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 09 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 सीपीयू, 02 लैपटॉप गेटवे कम्पनी, 01 फर्जी रेन्ट एग्रीमेंट, 02 फर्जी जन्मप्रमाण पत्र, 01 फर्जी आय प्रमाण, 01 फर्जी पासपोर्ट कापी, 01 एसएससी एडमिट कार्ड, 01 पेटीएम मशीन, 01 बिल बुक, 03 एटीएम कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 07 डायरी, 01 सील मोहर, फर्जी बिजली के बिल, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज व घटना में प्रयुक्त 10 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.02.2025** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा महागुन मार्ट गौर सिटी-2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित शॉप YOY CAPITAL INFRA PVT- LTD से फर्जी दस्तावेजो को प्रयोग कर आधार कार्ड, रेन्ट एग्रीमेंट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, म्यूचल ट्रैडिंग अकाउन्ट बनाना व लोगो को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर अवैध धन अर्जित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 09 अभियुक्तो को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 06 सीपीयू, 02 लैपटॉप गेटवे कम्पनी, 01 फर्जी रेन्ट एग्रीमेंट, 02 फर्जी जन्मप्रमाण पत्र, 01 फर्जी आय प्रमाण, 01 फर्जी पासपोर्ट कापी, 01 एसएससी एडमिट कार्ड, 01 पेटीएम मशीन, 01 बिल बुक, 03 एटीएम कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 07 डायरी, 01 सील मोहर, फर्जी बिजली के बिल, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज व घटना में प्रयुक्त 10 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियो के बरामद हुए है।

थाना बिसरख पुलिस को लोकल इन्टेलिजेंस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि महागुन मार्ट गौर सिटी-2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित शॉप YOY CAPITAL INFRA PVT- LTD में दुकानदार व उसके साथियो द्वारा गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेजो का प्रयोग कर आम जनता के लोगो के जन्म प्रमाण पत्र, रेन्ट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, म्यूचल ट्रैडिंग अकाउन्ट आदि दस्तावेज बनाने का अवैध काम किया जा रहा है, इस सूचना पर थाना बिसरख पुलिस द्वारा महागुन मार्ट गौर सिटी 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित शॉप YOY CAPITAL INFRA PVT- LTD पर छापा मारा गया तो दुकान पर दुकान के मालिक सहित 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा बताया कि YOY CAPITAL INFRA PVT- LTD अजय जयसवाल की महागुन मार्ट में दुकान है, जिसमें कस्टमर के आवश्यकतानुसार नया आधार कार्ड अपडेट, जन्मप्रमाण पत्र, पेन कार्ड, रेन्ट एग्रीमेंट, निवास प्रमाण पत्र आदि बनाने का कार्य किया जाता है।

1-दुकान मालिक अजय कुमार जयसवाल पुत्र सर्वेश कुमार जयसवाल (शैक्षिक योग्यता एमबीए) कस्टमर से कागजात को तैयार करने का ऑर्डर लेता है जो पिछले 6 साल से महागुन मार्ट में दुकान चला रहा है महीने में लगभग 7 लाख रूपये अवैध रूप से कमाते है। अजय स्वंय और अपने यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियो से दस्तावेजो में एडिटिंग जन सुविधा केन्द्र/डी.जी सेवा की आईडी का प्रयोग कर प्रपत्र तैयार करता है।

2-अंकित कुमार पुत्र राजेश कुमार (शैक्षिक योग्यता बी.सी.ए.) पिछले दो साल से अजय जयसवाल के साथ काम करता है, कम्प्यूटर के माध्यम से दस्तावेजो को एडिट करने का कार्य करता है एवं दुकान के कम्प्यूटर आदि उपकरण की देखभाल करता है।

3-आकाश पुत्र राकेश (शैक्षिक योग्यता बी.ए.) पिछले एक साल से इण्डस इण्ड बैंक में के.वाई.सी. अपडेट करने का काम करता है। फर्जी दस्तावेजो का प्रयोग कर आधार कार्ड/के.वाई.सी करने का कार्य करता है।

4-विशेष कुमार पुत्र बलेश सिंह (शैक्षिक योग्यता बी.कॉम) पिछले एक साल से काम कर रहा है दस्तावेजो में डिटिंग करने का काम करता है।

5-अमित विश्वकर्मा पुत्र राजेश कुमार (शैक्षिक योग्यता बी.ए.) पिछले एक साल से काम कर रहा है। कस्टमर से दस्तावेज प्राप्त कर उस पर आवश्यकतानुसार एडिट करने का काम करता है।

6-आशुतोष पाण्डे पुत्र योगी पाण्डे (शैक्षिक योग्यता बी.टेक) गाजियाबाद डूण्डा हेडा मे आशू आधार सेवा केन्द्र के नाम से एक अलग दुकान चलाता है और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि बनाने का काम करता है फर्जी दस्तावेज तैयार करन हेतु ये सभी लोग INDPRINT-SHOP नाम की वेबसाइट का यूज करता है।

7-दीपक कुमार पुत्र सतीश त्रिवेदी (शैक्षिक योग्यता बी.ए.) पिछले डेढ़ साल से काम कर रहा है, फर्जी रेन्ट एग्रीमेंट तैयार कर आधार व पासपोर्ट बनाने का काम करता है तथा आईजीएल बिल में कूटरचना करके फर्जी दस्तावेज तैयार करते है।

8-शानू पुत्र किशोरी (शैक्षिक योग्यता बी.कॉम) पिछले एक साल से काम कर रहा है जो आन डिमाण्ड फर्जी रेन्ट एग्रामेंट बनाने का काम करता है।

9-सुखपाल इंडसइंड बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है इसकी बेटी ज्योति अजय जयसवाल के साथ मिलकर काम करती है जो अपने पिता के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर इंडसइंड बैंक में कार्यरत कर्मचारी से के.वाई.सी करवाता है।

यह सभी लोग फर्जी दस्तावेजो को तैयार कर नया आधार कार्ड अपडेट, जन्मप्रमाण पत्र, पेन कार्ड, रेन्ट एग्रीमेंट, निवास प्रमाण पत्र आदि तैयार करते है तथा जिनके कागजात पूरे नहीं होते है तो यह अपनी तरफ से फर्जी बिल, फर्जी दस्तावेज लगाकर उसके सरकारी कागजातो को अपडेट करा देते है। अपडेट कराने के लिए केवाईसी हेतु उन कस्टमर को इंडसइंड बैंक क्रोसिंग रिपब्लिक में भेजते है जहाँ बैंक का गार्ड सुखपाल व केवाईसी करने वाला व्यक्ति आकाश आधार कार्ड को बनाता है तथा आवश्यकता अनुसार अपडेट भी करते है। इंडसइंड बैंक में कार्यरत गार्ड सुखपाल की बेटी ज्योति इसी दुकान में नौकरी करती है जो कि अपने पिता सुखपाल के माध्यम से इंडसइंड बैंक में के.वाई.सी. अपडेट करने वाले आकाश से सांठ गाँठ करके आधार कार्ड फर्जी तैयार कराते है इस कार्य के लिए सुखपाल व आकाश रूपये प्राप्त करते है।

अभियुक्तों का विवरण--

1- अजय कुमार जयसवाल पुत्र सर्वेश कुमार जयसवाल निवासी साया जोन थाना बिसरख, जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 45 वर्ष।
2- अंकित कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम बमहेडा थाना बाबूगढ जिला हापुड उम्र करीब 27 वर्ष।
3- दीपक पुत्र सतीश निवासी रामपुर दयाल थाना पीयर जिला मुजफ्फरपुर बिहार वर्तमान निवासी श्रेयांश अपार्टमेंट शाहबेरी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष।
4- विशेष कुमार पुत्र बलेश सिंह निवासी किशनपुर थाना जहाँगीराबाद जिला बुलन्दशहर हाल पता शिवालिक वाटिका होटल के पास सूरजपुर थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 29 वर्ष।
5- आकाश पुत्र राकेश निवासी सादुल्लापुर थाना ईकोटेक 3 जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष।
6- अमित विश्वकर्मा पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष।
7- आशुतोष पाण्डे पुत्र योगी पाण्डे निवासी डुण्डाहेडा थाना क्रोसिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।
8- सुखपाल पुत्र बाबू सिंह निवासी शाहपुर थाना मडराव जिला अलीगढ़ हाल पता चिपियाना उर्फ तिगरी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 50 वर्ष।
9- सानू पुत्र किशोरी निवासी ग्राम गईय्यनपुर जिला अलीगढ हाल पता दृ छिजारसी कालौनी सैक्टर 63 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1-06 सीपीयू

2-02 लैपटॉप गेटवे कम्पनी

3-01 अदद फर्जी रेन्ट एग्रीमेंट

4-02 फर्जी जन्मप्रमाण पत्र

5-01 फर्जी आय प्रमाण

6-01 फर्जी पासपोर्ट कापी

7-01 SSC ADMIT CARD

8-01 पेटीएम मशीन

9-01 बिल बुक

10-03 एटीएम कार्ड

11-01 क्रेडिट कार्ड

12-07 डायरी

13-01 सील मोहर YOY CAPITAL INFRA PVT- LTD

14-10 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियो

15-बिजली का बिल

16-निवास प्रमाण पत्र

17-आधार कार्ड

18-मृत्यु प्रमाण पत्र

2. थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित व ठाणे नगर मुम्बई से वांछित अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.02.2025** को **थाना सेक्टर-113** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 203/2024 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जतिन उर्फ चीता पुत्र मनोज निवासी ग्राम सवाना, थाना कपूरपुर, जनपद हापुड़ वर्तमान पता सलारपुर, थाना सेक्टर-39 नोएडा की गिरफ्तारी हेतु थाना क्षेत्र के जोड़ियाक तिराहे के पास चेकिंग की जा

रही थी, तभी काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्त को रूकने का इशारा किया गया जिसपर मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त द्वारा रूकने के बजाय मोटरसाइकिल को तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को घिरता देखकर मोटरसाइकिल से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान जतिन उर्फ चीता पुत्र मनोज निवासी ग्राम सवाना, थाना कपूरपुर, जनपद हापुड़ वर्तमान पता सलारपुर, थाना सेक्टर-39 नोएडा के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस और एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का आदतन अपराधी है, जिसके द्वारा अपने गैंग के साथ मिलकर लूट, चोरी आदि घटनाएं कारित कर अवैध धन अर्जित करने का अपराध किया गया है। अभियुक्त ठाणे नगर मुम्बई से भी वांछित चल रहा है। अभियुक्त के अपराधिक इतिहास व अन्य जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण--

जतिन उर्फ चीता पुत्र मनोज निवासी ग्राम सवाना, थाना कपूरपुर, जनपद हापुड़ वर्तमान पता सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा उम्र करीब 23 वर्ष (घायल)

अपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0 203/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सेक्टर-113 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0 0129/22 धारा 395/412 भादवि थाना सेक्टर-113 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0-0391/22 धारा 307 भादवि थाना सेक्टर-113 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
4- मु0अ0सं0 392/22 धारा-414/411 भादवि थाना सेक्टर-113 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
5- मु0अ0सं0 34609/22 धारा-379/411भादवि थाना नन्द नगरी, दिल्ली।
6- मु0अ0सं0 804/24 धारा 309(4)/3(5) बीएनएस थाना ठाणे नगर, मुम्बई।